Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी-23/2011-एमपीलैड्स

Dated 28.10.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय :- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) –अनुबंध II-क अतिरिक्त मद –के बारे में ।

महोदय,

रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कई स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुमति एमपीलैड्स के तहत पहले से ही प्रदत्त है । किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रतीक्षा हेतु जनहित में लगाई गई स्थायी कुर्सियां/बेंचें (छत सहित), भी वस्तुत: स्थायी सम्पत्ति ही है । अत:, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध II –क में मद सं. 16 को सम्मिलित करने का निर्णय निम्नानुसार लिया गया है :

16. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा हेतु स्थायी कुर्सियां/बेंचें लगवाना: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा हेतु स्थायी कुर्सियां व बेंचें (छत सहित) लगवाने के लिए एमपीलैड स्कीम में से निधि का प्रयोग किया जा सकता है । ये रेल मंत्रालय की सम्पत्ति होगी, जो उसकी सम्पत्ति सूची में शामिल होगी । इसका कार्यान्वयन अनुच्छेद 2.11 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा जिसके अनुसार कुछ केंद्र सरकारी मंत्रालयों/संगठनों (जैसे कि रेलवे), जहां कि कार्यान्वयन एजेंसी अनिवार्यत: संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालय/संगठन होना चाहिए, के कतिपय कार्यों के लिए उसे ही कार्यान्वयन एजेंसी चुना जाएगा ।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. **एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।**